भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2528**

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

**चालकों के उनींदेपन के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का समाधान**

2528. श्री राजकुमार चाहर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सड़क दुर्घटनाओं में चालकों का उनींदापन और नींद आना प्रमुख कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में परिवहन अनुसंधान स्कंध द्वारा विशिष्ट आंकडे एकत्र किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नींद आते समय ड्राइविंग से संबंधित दुर्घटनाओं के संबंध में किसी आंकड़े के अभाव में प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप बाधित होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस बारे में लक्षित उपाय करने के लिए चालकों की उनींदापन के कारण हुई दुर्घटनाओं के संबंध में आंकडे एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनींदेपन और नींद आने के कारण सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े किस वर्ष तक एकत्र किए गए और इस प्रक्रिया को बंद करने के कारण क्या हैं?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ" प्रकाशित करती है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएँ कई कारणों से होती हैं जिसमें तेज़ गति से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब पीकर वाहन चलाना/शराब और मादक पदार्थों दवाओं का सेवन करना, विपरित दिशा में वाहन चलाना / लेन अनुशासनहीनता, लाल बत्ती का उल्लंघन करना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहनों की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की स्थिति आदि शामिल है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 78% सड़क दुर्घटनाएँ चालकों की गलती के कारण हुईं।

सरकार ने वार्षिक प्रकाशन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस विभागों द्वारा सड़क दुर्घटना की रिपोर्टिंग के प्रारूपों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति में आईआईटी-दिल्ली, आईआईटी-खड़गपुर, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के विशेषज्ञ, राज्यों के पुलिस और परिवहन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारक शामिल थे।

समिति ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डेटा प्रस्तुत करने के लिए दुर्घटना रिकॉर्डिंग प्रारूपों के संशोधित सेट की सिफारिश की। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कैलेंडर वर्ष 2017 से नए रिपोर्टिंग प्रारूपों में वार्षिक सड़क दुर्घटना डेटा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। संशोधित प्रारूपों में चालक की थकान, उनींदापन या बीमारी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के प्रावधान शामिल नहीं हैं।

*****